

सं:- AG(AU)-B-P-20

दिनांक -20.04.2021

आदेश

इस कार्यालय में COVID-19 संक्रमण के व्यापक प्रसार को दृष्टिगत रखते हुए महालेखाकार (लेखापरीक्षा) तक संचालित की जाने वाली संचिकाओं को अगले आदेश तक सीमित किया जाता है।

इस संदर्भ में, यह ध्यातव्य है कि जिन संचिकाओं को महालेखाकार महोदय तक भेजा जाना अपेक्षित है वे ई-मेल द्वारा अनुमोदन हेतु भेजी जाएं।

इसके लिए PUC, DFA (वर्ड फॉर्मेट), लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और नोटशीट आदि को सॉफ्ट कॉपी प्रारूप में ई-मेल आईडी sharmaramawatar@cag.gov.in पर भेजा जा सकता है।

अनुमोदन पश्चात इसकी प्रतिलिपि अग्रेतर कार्रवाई और अन्य सन्दर्भों हेतु संचिका में रखी जा सकती है।

प्राधिकार:- (महालेखाकार (लेखापरीक्षा)का आदेश दिनांक-20.04.2021

-:सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रतिलिपि प्रेषित:-

ह/-

उपमहालेखाकार(प्रशासन)

- 1.सभी उपमहालेखाकार गण(प्रशासन,FAW,फिनाट और AMG।से।√)
- 2.वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी/सभी रिपोर्ट अनुभाग
- 3.वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी /पीपीजी
- 4.वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी/निष्पादन लेखापरीक्षा
- 5.वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी/आंतरिक लेखापरीक्षा
- 6.महालेखाकार सचिवालय